



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-952-अ0प्र0-07/पाकालि/21-25-अ0प्र0-07/20

दिनांक 17/03/2021

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% सम्प्रति 41.10% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) से सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 24.10.2019 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरणों में से श्री रमेश कुमार यादव (वरि0क्र0-9804), अवर अभियन्ता के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (अनु0कार्य0), मविविनिलि ने पत्रांक-164/प्रनि0/म0वि0वि0नि0लि0/अनु0कार्य0-11, दिनांक 06.03.2021 द्वारा अवगत कराया है कि आदेश सं0-41/प्रनि/मविविनिलि/डीपी-11, दिनांक 18.01.2021 द्वारा इनको 'निन्दा प्रविष्टि के साथ 02 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने' का दण्ड प्रदान कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत इनका मोहरबन्द लिफाफा खोलकर उन्हें उनके वर्तमान कार्यालय में अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से On seat प्रोन्नत किया जाता है:-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम /जन्मतिथि/गृह जनपद/वरि0क्र0	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	श्री रमेश कुमार यादव/श्री राम राज यादव वि0/07.07.72/गोण्डा/अ0पि0व0/9804	वि0वि0खं0, बागरमऊ उन्नाव	2020326

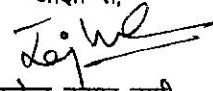
- परिषदादेश सं0-1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री रमेश कुमार यादव (वरि0क्र0-9804) को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री राजू सिंह (वरि0क्र0-9830) के प्रोन्नति आदेश विषयक कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-3411-अ0प्र0-07/पाकालि/19, दिनांक 26.10.2019 के निर्गमन की तिथि से अर्थात् 26.10.2019 से प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
- उपरोक्त प्रोन्नत कर्मिक पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविप-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
- प्रोन्नति पश्चात उपरोक्त अभियन्ता की उनके वर्तमान कार्यालय में ऑन सीट (On Seat) तैनाती अनन्तिम (Tentative) है, अन्तिम (Final) तैनाती के लिये आदेश कारपोरेशन मुख्यालय स्तर से अलग से निर्गत किये जायेंगे।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0 ज्ञाप0 में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

अध्यक्ष

संख्या :-952-अ0प्र0-07 / पाकालि / 2021 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (ज्ञानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
11. संबंधित अधिकारी।
12. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)